भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2789
दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानून

†2789. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए आपराधिक कानूनों (न्याय संहिताओं) में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों से पूछताछ करने का प्रावधान शामिल है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की अभियोजन के लिए साक्ष्य के लिए धारा 254 तथा धारा 265 और प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य के लिए धारा 266, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और गवाहों की जांच के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग का प्रवधान करती हैं। इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा समस्त विचारण, पूछताछ और कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित करने का प्रावधान करती है। सरकार ने न्याय-श्रुति एप्लिकेशन विकसित किया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति की सुविधा प्रदान करती है।

****